



2026:AHC:57776

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं. - 9556 वर्ष 2026

वीर प्रताप @ मनोज कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : अली हसन, राम मूर्ति यादव

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय सं. - 67

माननीय समीर जैन, न्यायमूर्ति

- आवेदक द्वारा दाखिल पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
- श्री अली हसन, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और श्री शत्रुघन यादव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) को सुना गया।
- यह वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से अपराध संख्या 32 वर्ष 2025, आईपीसी की धाराओं 498-क, 304-ख, 323, 201 और 506 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4, थाना रसूलाबाद, जिला कानपुर देहात में विचारण की लंबितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, किंतु झूठे आरोप के आधार पर उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में मृतका तेज स्वभाव की महिला थी और अक्सर छोटी-छोटी वैवाहिक बातों पर झगड़ा करती थी और घटना की तिथि को वह अत्यधिक उत्तेजित हो गई और तत्पश्चात् उसने कीटनाशक खाकर मृत्यु को प्राप्त हो गई।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि घटना के तुरंत बाद सूचनादाता पक्ष को सूचित किया गया और वे आए और पंचायतनामे में भाग लिया, किंतु लगभग छह महीने बाद सूचनादाता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन किया और इस आवेदन पर दिनांक 26.1.2025 को इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में यह अत्यधिक विलंब स्वयं यह सुझाता है कि दहेज की माँग से संबंधित यातना का आरोप झूठा है और वास्तव में यह दहेज मृत्यु का मामला नहीं है।
7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि मृतका की विसरा रिपोर्ट भी यह सुझाती है कि उसकी मृत्यु ऑर्गेनो-क्लोरो कीटनाशक के सेवन से हुई।
8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि इस मामले को छोड़कर आवेदक का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास नहीं है और इस मामले में वह दिनांक 01.12.2025 से, अर्थात् पिछले पंद्रह महीने से अधिक समय से जेल में है।
9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता(ए.जी.ए.) ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों पर उठाए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।
10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया गया।
11. यद्यपि आवेदक मृतका का पति है और उसकी पत्नी की मृत्यु विवाह के पाँच वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में वैवाहिक घर में हुई है और दहेज की माँग से संबंधित यातना का भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आरोप है, किंतु मृतका की विसरा रिपोर्ट पर विचार करते हुए इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

12. इसके अलावा, इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में सात महीने से अधिक का विलंब है जो यद्यपि बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन के माध्यम से दर्ज की गई है, किंतु बी.एन.एस.एस. की धारा 173(4) के अंतर्गत आवेदन भी पाँच महीने से अधिक के बाद किया गया था, इसलिए इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी देर से दर्ज की गई है।

13. इसके अलावा, इस मामले को छोड़कर आवेदक का कोई पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास नहीं है और वह इस मामले में दिनांक 01.12.2025 से, अर्थात् पिछले पंद्रह महीने से अधिक समय से जेल में है।

14. इसके अलावा, विधि यह स्थापित है कि जब तक दोषी सिद्ध न हो, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक उद्देश्यों के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

15. इसलिए, उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

16. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

17. आवेदक-वैर प्रताप @ मनोज कुमार को उपरोक्त मामले में संबन्धित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो जमानत दारों के साथ व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को तथ्य बताने से हतोत्साहित करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

18. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्तीकरण के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(समीर जैन, न्यायमूर्ति)

मार्च 20, 2026

एसकेएम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।